

सेवा में,

ORM/20006/15 -2
08-05-2015

990-10/-
(4)

श्रीमान केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/संयुक्त सचिव महोदय
नियंत्रण एवं प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार
सिविल लाइन्स, दिल्ली

विषय:- जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मॉगी जा रही निम्नांकित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र।

1. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के सर्न्दभ में भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 25 सितम्बर 1956 को, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-63) दिनांक 25 सितम्बर 1956 के नाम से हिन्दी वर्जन जारी किया गया है या नहीं?


यदि हिन्दी वर्जन जारी किया गया है तो, प्रार्थी को उक्त अधिनियम की एक प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाये और यदि उक्त अधिनियम का हिन्दी वर्जन जारी नहीं हुआ है तो, क्यों नहीं हुआ है? उसका कारण बताया जाये।

2. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति की सूची के क्रम संख्या-27 पर धंगड़ जाति के स्थान पर गडरिया जाति के लोगों को धनगर के नाम से अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र दिये जा रहे हैं, क्या वह कानूनन हैं या गैर कानूनन हैं? अवगत करायें।

नियमानुसार रु.10/- के पोस्टल आर्डर नं. 64C 722309 एवं 64C 722310 इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। फोटोप्रति का जो भी व्यय होगा प्रार्थी देने को तैयार है।

प्रार्थी

दिनांक: 29.04.2015



रविन्द्र कुमार

(रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री लज्जाराम)
निवासी-डा. अम्बेडकर नगर
माता वाली गली, टेड़ी बगिया
पोस्ट-यमुना ब्रज, जिला-आगरा (उ.प्र.)
पिन-282006
मो. 9897329333

नोट: उ.प्र. सरकार द्वारा गडरिया जाति (पिछड़ा वर्ग) के लोगों को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र धंगड़ के स्थान पर धनगर के नाम से जारी किये जा रहे हैं की फोटोप्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

-3-

कार्यालय तहसीलदार (सदर) आगरा

संख्या...152/4400 6521 / टंकक

दिनांक : 06-09-2014

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए

जाति-प्रमाण पत्र


यथा विभागीय क्षेत्रीय लेखपाल श्री पुष्प सिंह की जाँच/रिपोर्ट दिनांक 03-09-14 तथा क्षेत्रीय रा0नि0 श्री शैलेंद्र सिंह क्षेत्र बिचपुरी की जाँच/रिपोर्ट दिनांक 05-09-14 के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री कृष्ण धनगर पुत्री श्री श्री कृष्ण धनगर निवासी 617 अ. ख. नन्दारी शास्त्री नगर आगरा तहसील व जिला आगरा, उ0प्र0 राज्य की अनुसूचित जाति "धनगर" (DHANGAR) का व्यक्ति है, जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ, (संविधान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।


श्री कृष्ण धनगर तथा/अथवा उनका परिवार उ0प्र0 के निवासी 617 अ. ख. नन्दारी शास्त्री नगर आगरा जिला आगरा में सामान्यतः रहता है।

अनुसूचित जाति का यह प्रमाण पत्र ऑल इण्डिया धनगर महासभा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका सं0 40462/2009 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.03.2012 के अनुपालन में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 16.01.2013 व शासनादेश संख्या 1654/26.03.2013 समाज कल्याण अनुभाग-3 दिनांक 24.10.2013 के क्रम में जारी किया जा रहा है।


स्थान :- आगरा

दिनांक :-


ह0 क्षेत्रीय लेखपाल


ह0 क्षेत्रीय रा0नि0
5191014
शैलेंद्र सिंह
रा० नि० बिचपुरी
तहसील-सदर आगरा


ह0 लिपिक


तहसीलदार (सदर)
आगरा

आगरा जिला, आगरा

कार्यालय तहसीलदार (सदर) आगरा ।

संख्या 1670 / 2015

दिनांक 2 मार्च 2015

विषय - सूचना अधिकांक अधिनियम की धारा 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

श्री दीप चन्द सोनी
(राउकोरेट)
22, अशोक विहार कालोनी
देवरौडा नं. 2 ब्राह्मजी, आगरा।

उक्त विषयक आपके आवेदन पर संख्या 400/9-2-15 के सूचना अधिकांक अधिनियम में जांच की सूचना पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

आपका, - दलपति

प्रशासक, आदि कार्यालय
तहसीलदार (सदर)
आगरा।



तहसीलदार आगरा

महोदय,

संलग्न जाति प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र श्री श्रीकृष्ण धनगर पुत्र स्व० किशनलाल धनगर निवासी 6/7 खन्दारी आगरा शास्त्री नगर आगरा द्वारा अपनी नावालिग पुत्री रिशु धनगर के जाति प्रमाण पत्र हेतु दिया है। प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के अनुपालन में जाँच की गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न साक्ष्यों(छाया प्रति) का अवलोकन किया गया तथा दो स्थानीय व्यक्तियों के ब्यान लिए गए जो साथ में संलग्न है। तदनुसार आख्या निम्न है।

1 प्रार्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ अपनी नावालिग पुत्री रिशु धनगर का निवास प्रमाण पत्र संख्या 152142005554 दिनांक 08.07.2014 की दाखिल की है जिसमें प्रार्थी की पुत्री का नाम रिशु धनगर पुत्री श्री कृष्ण धनगर दर्ज है।

2. प्रार्थी द्वारा रिशु धनगर का श्री रामकृष्ण इन्टर कालेज खन्दारी आगरा के प्रधानाचार्य द्वारा कालेज के लैटर पैड पर जारी अध्ययनरत प्रमाण पत्र दिनांक 16.12.2013 की दाखिल की है जिसमें लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि रिशु धनगर पुत्री श्री श्रीकृष्ण धनगर इस विद्यालय में कक्षा 11 (ग्यारहवीं) की संस्थागत छात्रा है। विद्यालय अभिलेखानुसार इनकी जाति धनगर एवं जन्मतिथि 01.07.1998 एक जुलाई उन्नीस सौ अठानवे है। इनका वर्तमान पता 6/7 ए शास्त्रीनगर खन्दारी आगरा है।

3. प्रार्थी द्वारा रिशु धनगर का हाईस्कूल परीक्षा 2013 का प्रमाणपत्र सह अंकतालिका की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी की पुत्री का नाम कु० रिशु धनगर व माता का नाम श्रीमती गीतादेवी धनगर व पिता का नाम श्री श्रीकृष्ण धनगर दर्ज है।

4. प्रार्थी द्वारा अपने व अपनी पत्नी के मकान के ग्रहकर की रसीद दाखिल की हैं जिनमें प्रार्थी का नाम श्रीकृष्ण धनगर व पत्नी का नाम श्रीमती गीतादेवी धनगर दर्ज है।

5. प्रार्थी द्वारा अपने राशनकार्ड संख्या 317142 दिनांक 24.02.06 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी का नाम श्री श्रीकृष्ण धनगर पुत्र स्व० किशनलाल धनगर लिखा है।

6. प्रार्थी द्वारा वार्ड संख्या47 के पार्श्व श्री गजराज सिंह के लैटर पैड पर दिया गया प्रमाण पत्र दिनांक 03.10.2013 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी का उक्त निवास व जाति धनगर सत्यापित की है।

7. इसके अलावा प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया है कि प्रार्थी व उसकी पुत्री की जाति धनगर है।

8. मौके पर उपस्थित श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व० श्री सुरेशचन्द्र अग्रवाल निवासी 6/5 वी खन्दारी आगरा व श्री वृजमोहन दिवाकर पुत्र स्व० श्री भजोरी लाल निवासी 6सी/75 खन्दारी आगरा के ब्यान लिए गए जो साथ में संलग्न हैं।

उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी की पुत्री कु० रिशु पुत्री श्री श्रीकृष्ण धनगर निवासी 6/7 खन्दारी आगरा शास्त्री नगर आगरा की जाति धनगर है जो शासनादेश संख्या 1654/

[Handwritten Signature]
दिनांक 05/11/14
तहसीलदार आगरा

[Handwritten Signature]
श्रीमती शर्मिष्ठा
सदर सहायक, आगरा

26.03.13 समाज कल्याण अनुभाग -3 दिनांक 24.10.2013 विषय आल इन्डिया धनगर महासभा बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या 40462/2009 में पारित मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.03.12 के अनुपालन में मा० राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 16.01.2013 के अनुपालन में धनगर जाति जो शासनादेश सं० 07442677-17 (21)74 दिनांक 29.08.1977 के क्रमांक 27 पर दर्ज है। जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है।

अतः उपरोक्त साक्ष्यों से सहमत होने की दशा में नियमानुसार प्रार्थी की पुत्री कु० रिशु पुत्री श्री श्रीकृष्ण धनगर निवासी 6/7 खन्दारी आगरा शास्त्री नगर आगरा को अनुसूचित जाति के अन्तर्गत धनगर जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु आख्या सेवा में प्रेषित है।

शेलेन्द्र सिद्ध
रा० नि० विन्धपुरी
बड़बौल-मदर, आगरा

02/09/14
श्री श्रीकृष्ण
मदर बड़बौल, आगरा

जारी है
6/9/14

श्री. श्री
8/9/14



भारत सरकार
प्रकाशन विभाग

शहरी विकास मंत्रालय

सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

Website: www.deptpub.gov.in

Email: acop-dep@nic.in (&) pub.dep@nic.in

TEL.: 2381 7823 /2381 9689 Fax: 2381 7846.

By Speed post

सं: ओ. एण्ड एम./20006/2015

दिनांक: 27 मई, 2015

सेवा मे,

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री लज्जाराम,

माता वाली गली, टेड़ी बगिया,

पोस्ट- यमुना ब्रज, जिला- आगरा,

उत्तर प्रदेश - 282 006

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में ।


महोदय,

आपके पत्र जो इस विभाग में दिनांक 06.05.2015 को प्राप्त हुआ, के संदर्भ में मांगी गयी सूचना निम्नलिखित है।


1. क्रम सं. 1 मे वर्णित वांछित प्रकाशन इस बिभाग मे उपलब्ध नहीं है।
2. मांगी गयी सूचना इस बिभाग से संबन्धित नहीं है।

फिर भी यदि कोई भारत का राजपत्र या अन्य कोई अधिनियम (Act) इस बिभाग से क्रय करना चाहते हैं तो उस प्रकाशन की पूर्ण जानकारी दें।

यदि आप उपरोक्त सूचना से सन्तुष्ट नहीं है तो प्रथम अपिलिय प्राधिकारी संयुक्त सचिव व नियंत्रक प्रकाशन को अपील कर सकते हैं ।

भवदीय,

(ए. के. सिंह)

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी


21.05.2015